



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक-2370 /12-102, कौटबंगला दिनांक 5 / 2 /2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/20179/2016 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत थौला से माड़ मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का पत्रांक-कैम्प/मेमो-01 दिनांक 18.01.2018।

महोदय,

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No. 2, the details of employment likely to be generated during the construction of project given at para-E Part-I online still does not appear to be correct.	In reply to point No. 2 के para-E Part-I online में सही कर दिया गया है।
2	In reply to point No. 6, State Government has still not uploaded the C/B analysis at designated place in online Part-I.	In reply to point No. 6 के online Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
3	In reply to point No. 7, details provided in District profile at para 14 in online Part-II still appears to be incorrect.	जिला प्रोफाइल संशोधित कर अपलोड कर दी गई है।
4	In reply to point No. 8, CA scheme submitted for equivalent area and submitted that the same is applied in this case. May clarify.	In reply to point No. 8, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल दोगुना किया गया है एवं Geo- reference map, KML file Part-1 में अपलोड कर दिया गया है।
5	In reply to point No. 9, 24 trees per hectare does not account for 0.4 density. State Government may review the density and correct the NPV rate accordingly. Hard copy of revised document (Such as NPV calculation sheet) may also be submitted.	In reply to point No. 9, में घनत्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संशोधित NPV calculation sheet संलग्न है।
6	In reply to letter dated 07/02/2017, reply of the following points still not submitted. (i)- The date is not mentioned in the FRA certificate and DLC proceedings provided in hard copy of the proposal. (ii) The name of Deputy Commissioner in proceedings of District Level Committee (DLC) in hard copy is different from the name in attendance sheet of the hard copy. Further, the name of DC is different in the DLC proceedings uploaded on web portal.	FRA से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है।
7	State Govt. may make the necessary correction in the Sub Divisional Level Committee meeting proceedings as name of village Thaula has been mentioned in the SDLC.	ग्राम माड़ ग्राम सभा न्यू खालसी के अन्तर्गत पड़ता है, का प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	State Government may make necessary corrections regarding CA at para 13 Part-II.	संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।

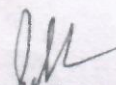
भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग

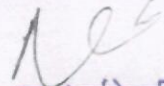
DENSITY OF VEGETATION

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में थौला से माड़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 10.00 किमी. लम्बाई हेतु 8.346 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में थौला से माड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी.) के निर्माण कार्य से उत्तरकाशी वन प्रभाग की 8.346 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि प्रभावित होती है, जिसमें 207 वृक्षों का पातन किया जाना है। प्रभावित वन भूमि चिन्यालीसौड़ वन राजि० के दिचली वन ब्लॉक की ताछियान कक्ष संख्या 03 के अन्तर्गत आती है, जिसमें हरियाली का घनत्व 0.4 (डेसिमल) है। *तथा इन 207 वृक्षों की संरक्षित दर 845000 के अनुसार रु० = 7052,390=00 अंकित की जाती है।*


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
उत्तरकाशी


अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
उत्तरकाशी


वन क्षेत्राधिकारी
घरास वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग


प्रभारी वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

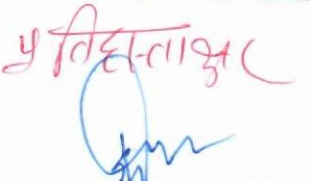
**एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कराने हेतु संशोधित दर द्वारा जारी
प्रमाण-पत्र**

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 10.00 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 8.346 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या- FP/UK/Road/20179/2015

क्र. स.	परियोजना का क्षेत्रफल हे0 में	ईको-क्लास श्रेणी	श्रेणी वन की	घनत्व	प्रभावित वृक्षों की संख्या	दर	धनराशि
1.	8.346 ✓	5 ✓	सघन वन ✓	0.4 ✓	207 ✓	845000.00 ✓	7052370.00 ✓


वनक्षेत्राधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रशासकीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी

CHECKED


Draughts Man

परियोजना का नाम:— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 10.00 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 8.346 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत माड (न्यू खालसी)
तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत थौला से माड परियोजना के निर्माण हेतु (0.5.686 हे०) आरक्षित वन भूमि, 1.085 हे० सिविल सोयम भूमि 0.210 हे०, वन पंचायत भूमि ——— हे०) अर्थात् कुल 8.346 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थौला से माड (न्यू खालसी) द्वारा दिनांक 22/03/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम माड (न्यू खालसी) गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

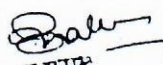
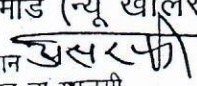

ग्राम पंचायत
विकास अधिकारी नई खालसी
ग्राम पंचायत चिन्यालीसौड़
उत्तरकाशी

Photo copy attested

ग्राम प्रधान माड (न्यू खालसी)

ग्राम पंचायत न्यू खालसी
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम नई खालसी तहसील-चिन्वालीसौड़ जिला-उत्तरकाशी के माड गांव नई खालसी के कार्य क्षेत्र/ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है यह प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है।

ग्राम- प्रधान

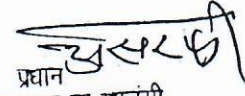

ग्राम-पंचायत नू खालसी
वि०ख०-चिन्वालीसौड़, उत्तरकाशी

Photo copy attested

/ अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, ली०नि०वि०
चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)